न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लुनिया, (आर०ए०एस०) अति0 चार्ज
प्रकरण संख्या : 16/2022
दायर दिनांक : 28.11.2022
निर्णय दिनांक : 09.07.2025

1. कमोद देवी पत्नि श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासी काबलेश्वर तहसील सैंथल जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील सैंथल
2. ग्राम पंचायत काबलेश्वर जरिये सरपंच

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थिति : अपीलान्ट्स की ओर से एम0एल0 गुर्जर, अधिवक्ता

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 09.12.2010
तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत काबलेश्वर तहसील सैंथल जिला दौसा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल के रहने वाले हैं। वाके ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1006, 1007 रकबा 0.32 है०, स्थित है। नामान्तरण संख्या 386 से पूर्व अपीलांट अराजी के 1/2 की खातेदार दर्ज रजिस्टर है। शेष हिस्सा रामकरण पुत्र बाल्या हिस्सा 1/4 व हरबली पत्नि कानाराम व रामकरण पुत्र कानाराम हिस्सा के खातेदारान है। अपीलांट द्वारा हिस्सा 1/2 के खातेदारान रामकरण पुत्र बल्या हिस्सा 1/4 के खातेदारान अपना हिस्सा जगदीश पुत्र काना को विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 19.03.2008 को सम्पूर्ण हक का विक्रय कर दिया गया, जिसका नामान्तरण संख्या 344 दिनांक 20.12.2009 को बहक जगदीश तस्दीक हो गया था। इसी कदर नामान्तरण संख्या 346 दिनांक 20.12.2009 को जरिए हकत्याग हरबली बेवा काना व रामकरण पुत्र काना हिस्सा 1/6 के बजाय जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/6 जरिये नामान्तरण संख्या 346 दिनांक 20.12.2009 होकर जमाबंदी में नोट अंकित हो गया था इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 06.12.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र शेष हिस्सा 1/2 सन 2010 को क्रय कर ली गई। इस सम्पूर्ण रकबा की खातेदारी के हक

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

अपीलांट को प्राप्त हो गये परन्तु नामान्तकरण प्रश्नगत संख्या 386 के समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के हक में मात्र जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/3 का ही नामान्तकरण गलत भरा गया जबकि रजिस्ट्री कुल रकबे की अपीलांट के हक में खातेदार जगदीश पुत्र काना द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये कराई गई थी। नामान्तकरण गलत, अशुद्ध, विधि विरूद्ध जगदीश पुत्र काना के हिस्सा 1/3 का भरना बताया गया है जबकि तारीख 06.12.2010 की रजिस्ट्री में नामान्तकरण संख्या 344 व 346 से विक्रेता को हक हिस्सा रामकरण पुत्र बाल्या हिस्सा 1/4 हरबली बेवा काना व रामकरण पुत्र काना हिस्सा 1/4 का विक्रया बहक जगदीश पुत्र काना दिनांक 06.12.2010 को हो चुका था। रामकरण पुत्र काना द्वारा जरिये हकत्याग पत्र बहक जगदीश पुत्र काना किया गया था। इस प्रकार रामकरण पुत्र काना हिस्सा 1/6 शेष हिस्सा नहीं रहा तो फिर अपीलांट सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1006, 1007 की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 386 दर्ज होनी चाहिये थी। इस तथ्य जी जानकारी आने पर दिनांक 30.05.2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर नकल ली गई बाद कानूनी मश्वरा करने पर अपील अपीलांट निम्न आधारो पर पेश है:–

1. यह है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 386 विरूद्ध विधि विधान न्याय नियम प्रकिया होने की गरज से चनने योग्य नहीं है। अतः नामान्तकरण आज्ञा काबिले खारिज है।
2. यह है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2010 की अनदेखी कर नामन्तकरण आज्ञा जारी फरमाई गई है। दिनांक 06.12.2010 की रजिस्ट्री के मुताबिक नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया है महज जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/3 को ही अन्तरण बताया गया है। जबकि जगदीश पुत्र हिस्सा 1/2 को खातेदार काश्तकार हो चुका था जिसके दस्तावेज रजिस्ट्री व हकत्याग संलग्न है। अतः नामान्तकरण आज्ञा हर कदर खारिज योग्य है।
3. नामान्तकरण गलत, अशुद्ध, विधि विरूद्ध जगदीश पुत्र काना के हिस्सा 1/3 का भरना बताया गया है जबकि तारीख 06.12.2010 की रजिस्ट्र में नामान्तकरण संख्या 344 व 346 से विक्रेता को हक हिस्सा रामकरण पुत्र बाल्या हिस्सा 1/4 हरबली बेवा काना व रामकरण पुत्र काना हिस्सा 1/4 का विक्रय बहक जगदीश पुत्र काना दिनांक 06.12.2010 को हो चुका था। रामकरण पुत्र काना द्वारा जरिये हकत्याग पत्र बहक जगदीश पुत्र काना किया गया था। इस प्रकरण रामकरण पुत्र काना हिस्सा 1/6 शेष ही नही रहा तो फिर अपीलांट सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1006, 1007 की खातेदार जरिये नामान्तकरण संख्या 386 दर्ज होनी चाहिए थी। इस तथ्य की जानकारी आने पर दिनांक 30.05.2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर नकल ली गई बाद कानूनी मश्वरा करने पर अपील आपीलांट पेश की जा रही है। नकल प्राप्त होने से जानकारी से अन्दर मियाद दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

के साथ यह अपील पेश है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 09.12.2010 ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सैंथल तहसील सैंथल ने अपने जवाब में बिन्दुवार कथन किया गया है:–

1. यह है कि ग्राम काबलेश्वर खसरा नम्बर 1006, 1007 कुल रकबा 0.32 है0 नामान्तकरण संख्या 386 से पूर्व अपीलान्ट आराजी के 1/2 खातेदार दर्ज है। शेष हिस्सा रामकरण पुत्र बाल्या हिस्सा 1/4 व हरबली पत्नि कानाराम व रामकरण पुत्र कानाराम हिस्सा 1/4 के खातेदारान दर्ज है जो सही है।
2. यह है कि मुताबिक विक्रय पत्र रजि. क्रमांक 2010002376 से जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/2 (अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण हिस्सा) बेचान किया गया था। जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 की खाता संख्या 17 में नामन्तकरण संख्या 344 विक्रय से रामकरण पुत्र बाल्या हिस्सा 1/4 के बजाय जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/4 व नामान्तकरण 346 हकत्याग कसे हरबली बेवा काना हिस्सा 1/12, रामकरण पुत्र काना हिस्सा 1/12 व जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/12 के बजाया जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/6 अर्थात जगदीश पुत्र काना कुल हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया। जमाबन्दी लेखन सम्वत 2067–2070 खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 1006/0.16 है0, 1007/0.16 है0 में कमोद पत्नी श्रीकिशन हिस्सा 1/2 रामकरण पुत्र काना हिस्सा 1/6 जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया जो गलत है। नामान्तरकण संख्या 344 व 346 से उक्त खाते की प्रविष्टी कमोद पत्नी श्रीकिशन हिस्सा 1/2, जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना उचित होगा।
3. यह है कि मुताबिक विक्रय पत्र रजि0 क्रमांक 2010002376 से जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/2 (अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण हिस्सा) बेचान कमोद पत्नी श्रीकिशन के पक्ष में किया परन्तु नामान्तकरण संख्या 386/09.12.2010 से जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/3 के बजाय कमोद पत्नी श्रीकिशन हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया, उक्त प्रविष्टी को जमाबन्दी शुद्धि उपरान्त जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/2 के बजाय कमोद पत्नी श्रीकिशन हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना उचित होगा। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलान्ट की ओर से अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त करने करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 09.12.2010 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मुताबिक विक्रय पत्र रजि. क्रमांक 2010002376 से जगदीश पुत्र काना

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

हिस्सा 1/2 (अर्थात विकेता का सम्पूर्ण हिस्सा) बेचान कमोद पत्नी श्रीकिशन के पक्ष में किया गया। अतः जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/2 के बजाय कमोद पत्नी श्रीकिशन हिस्सा 1/2 तस्दीक होता, लेकिन सरपंच, ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 386 स्वीकार करते समय जगदीश पुत्र काना हिस्सा 1/3 के बजाय कमोद पत्नी श्रीकिशन हिस्सा 1/3 नामान्तकरण तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है। सरपंच ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा विधिक दस्तावेज का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 386 स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 09.12.2010 ग्राम ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत काबलेश्वर को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 09.12.2010 ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत काबलेश्वर को निरस्त किया जाता है तथा इस आशय के साथ तहसीलदार सैंथल को रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सैंथल को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर द्वारा प्रचलित किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, सैंथल
उपखण्ड अधिकारी
सैंथल